प्रेषक,

संख्या–993/43–2–2005

गिरिराज शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 19 अक्टूबर, 2005

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत शुल्क के सम्बन्ध में।

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12–10–2005 से लागू हो गया है, जिसकी प्रति आपको पूर्व में प्रेषित करते हुए अधिनियम के प्राविधानों के दृष्टिगत आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया जा चुका है।

2– अधिनियम की धारा 6 (1) में यह प्राविधान है कि कोई भी व्यक्ति जो सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित आवेदन पत्र देगा व ऐसा शुल्क देगा जो निर्धारित किया गया हो।

3– अधिनियम की धारा 27 (2) में सरकार द्वारा लिए जाने वाले शुल्क के निर्धारण का प्राविधान है जिस हेतु नियमावली बनाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

उपरोक्त प्राविधानों के दृष्टिगत मुझे यह करने का निर्देश हुआ है कि कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उप धारा–1 के अन्तर्गत निम्नलिखित रूप से शुल्क निर्धारित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(1) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा–1 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु (गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति से कोई शुल्क नहीं ली जायेगी जिसके लिए उसे प्रमाण पत्र देना होगा)	रू० 10–00 (प्रति आवेदन पत्र)
(2) किसी अभिलेख की प्रतिलिपि हेतु (ए–4) या (ए–3) साइज के पेपर की प्रतिलिपि।	रू० 2–00 (प्रति पृष्ठ)
(3) लार्जर साइज के पेपर पर प्रतिलिपि हेतु	(वास्तविक व्यय प्रति पृष्ठ)
(4) सैम्पल्स अथवा माडल्स के लिए उनका वास्तविक मूल्य और जहां सूचना छपी मूल्य से सम्बन्धित है वहां निर्धारित छपा मूल्य।	
(5) अभिलेखों का निरीक्षण प्रथम घण्टा उसके बाद प्रत्येक 15 मिनट की अवधि के लिए।	रू० 10–00 रू० 5–00
(6) डिस्केट या फ्लापी या कम्पैक्ट डिस्क द्वारा सूचना प्राप्त करने पर।	रू० 50–00 (प्रत्येक)
(7) प्रिंटेड सामग्री की सूचना हेतु ऐसे प्रिंटेड सामग्री की प्रकाशक की नियम दर पर।	
(8) प्रकाशित सामग्री के उद्धरण की प्रतिपृष्ठ फोटोकापी के लिए	रू० 2–00 प्रतिपृष्ठ

5– उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क नकद अथवा संबन्धित लोक प्राधिकार को देय डिमान्ड ड्रॉफ्ट या बैंकर चेक से लिया जा सकेगा तथा प्रत्यावेदन कर्ता को शुल्क की रसीद प्रदान की जायेगी।

6– कृपया अपने अधिन सभी विभागाध्यक्षों / कार्यालयाध्यक्षों को उक्त से कराने का कष्ट करें। मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने मण्डल एंव जनपद सभी कार्यालयों को अपने स्तर से भी अवगत करा देवें व निर्दिष्ट कर देंवे कि कार्यालयाध्यक्ष अपने अधिन सभी जन सूचनाधिकारियों को इन आदेशों से अवगत करा देवें।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा०सं०–ई–9–542/दस–05, दिनांक 17– –05 के अनुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

गिरिराज वर्मा
प्रमुख सचिव।

संख्या–993(1) /43–2–2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।?
3– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,
ह०/–
(नवतेज सिंह)
सचिव।